संख्या–1007/33–3–2016–100(21)/2014

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायतीराज
उ0प्र0 लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 26 मई, 2016

विषयः– प्रदेश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों के निर्माण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–5/1230/2016–5/53/2016 दिनांक 11.04.2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए आगणन के अनुसार मूल्यांकन करते हुए अन्त्येष्टि स्थलों की प्रस्तावित लागत रू0 34.35 लाख के सापेक्ष रू0 24.36 लाख निर्धारित करते हुए स्वीकृति प्रदान की गयी है। यह स्वीकृति निम्नलिखित निर्देशों के अधीन प्रदान की गयी हैः–

1– प्रायोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाय।

2– प्रायोजना स्थल के अनुसार, यदि आवश्यक हो, नियमानुसार वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

3– प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।

4– मुख्य अभियन्ता (भवन),लोक निर्माण विभाग,उत्तर प्रदेश के पत्रांक–3487 जी/71(1)बी.पी.–विंग/2014 दिनांक 10.11.2014 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5– इस मानकीकरण के आधार पर वित्तीय स्वीकृति उन्ही प्रायोजनाओं हेतु प्रदान किया जाय जिन प्रायोजनाओं हेतु आवश्यक भूमि उपलब्ध हो।

गोपनीय

(केवल व्यय वित्त समिति उपयोगार्थ)

मानकीकरण सम्बन्धी प्रस्ताव/आगणन

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अंत्येष्टि ...

... यथावत् रहेगा, निर्देश दिये गये थे। प्रशासकीय विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में मानकीकृत लागत में लकड़ी स्टोर व अंत्येष्टि स्थल पर आन्तरिक इण्टर लॉकिंग की लागत सम्मिलित नहीं थी, जिसे सम्मिलित करते हुए संशोधित मानकीकरण का प्रस्ताव अनुमोदित किये जाने का अनुरोध किया गया है। तत्क्रम में प्रायोजना प्रस्ताव को पुनः व्यय वित्त समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है।

1.3— संदर्भित प्रस्ताव/आगणन के मानचित्र एवं कुर्सी क्षेत्रफल मुख्य वास्तुविद लोक निर्माण विभाग लखनऊ एवं तदनुसार गठित प्रस्ताव/आगणन मुख्य अभियन्ता (भवन) लोक निर्माण विभाग द्वारा पत्रांक 3487जी/71(1) बी0पी0—विंग/2014 दिनॉक 10—11—2014 (संलग्नक—3) उ0प्र0 द्वारा अनुमोदित किया गया है तथा लकड़ी के स्टोर एवं अंत्येष्टि स्थल पर इण्टर लॉकिंग टाइल्स का कार्य ग्राम पंचायत द्वारा अपने संसाधन से कराये जाने का निर्देश दिये गये है।

2	हैण्ड पम्प एवं ड्रेनेज	नo	1.00	100000.00	1.00	1.00	100000.00	1.00	1.00	100000.00	1.00
3	लटीवेचर एवं प्लान्टेशन	जाब	1.00	10000.00	0.10			0.00			0.00

2— प्रायोजना स्थल के अनुसार यदि आवश्यक हो तो प्रशासकीय विभाग द्वारा नियमानुसार वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

3— प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप प्रशासकीय विभाग द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।

4— मुख्य अभियन्ता (भवन), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 के पत्रांक 3487जी/71(1) बी0पी0—विंग/2014 दिनॉक 10—11—2014 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5— प्रशासकीय विभाग द्वारा इस मानकीकरण के आधार पर वित्तीय स्वीकृति उन्हीं प्रायोजनाओं हेतु किया जाय जिन प्रायोजनाओं हेतु आवश्यक भूमि उपलब्ध हो।

6— प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन का गठन लोक निर्माण विभाग के कुर्सी क्षेत्रफल दरों के आधार पर किया गया है। अतः इस मानकीकरण में प्रस्तावित कुर्सी क्षेत्रफल एवं विशिष्टियों के आधार पर स्वीकृत प्रायोजना का सम्बन्धित जनपद के एस0ओ0आर0 पर विस्तृत आगणन का गठन कराया जाय एवं इस विस्तृत आगणन पर कार्यदायी संस्था के सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

7— प्रशासकीय विभाग द्वारा मानकीकरण सम्बन्धी शासनादेश निर्गत किया जाय।

++++++++++++++++++++

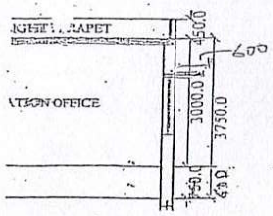

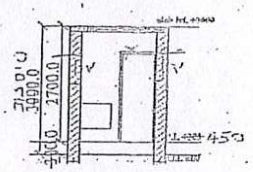

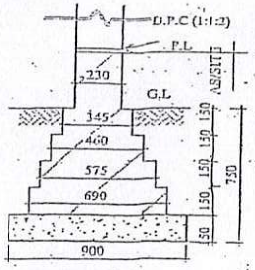

प्रतिबन्धपत्र संख्या 350 SA-3/56 SA-3/14
दिनांक 7-11-14 में वर्णित शर्तों
के अधीन मानचित्र अनुमोदित है

7/11/14

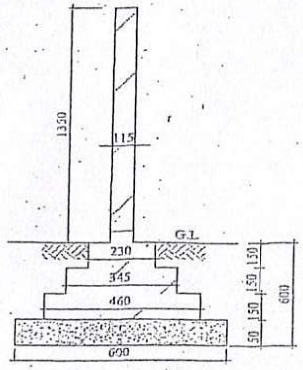

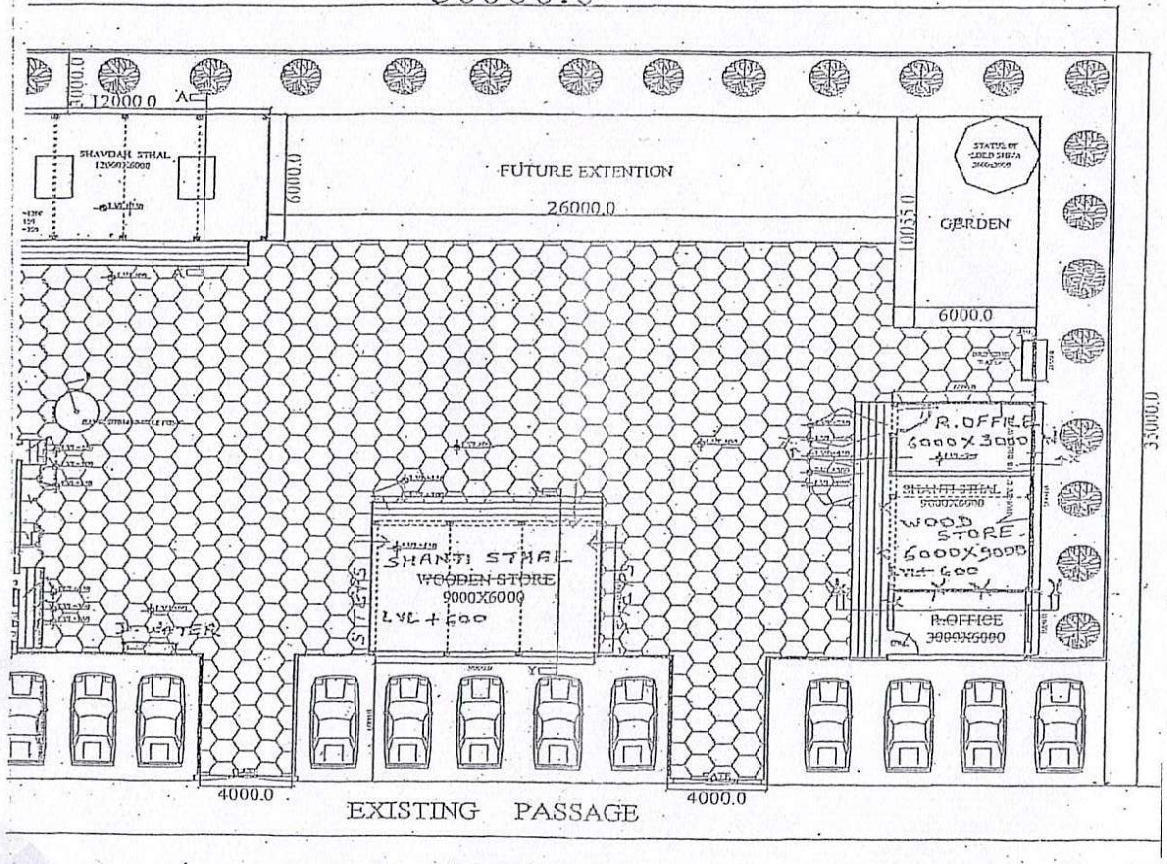

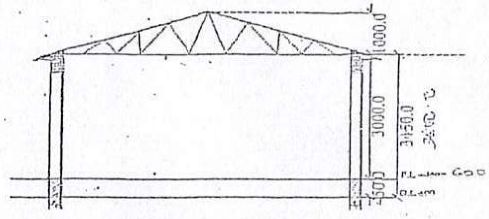

(विनय कुमार ...)
मुख्य वास्तुविद (ग्रा०)
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, ... लो०नि०वि०, लखनऊ

(रवि प्रकाश पांडे)
वास्तुविद
कार्या०, लोक निर्माण वि०
लखनऊ

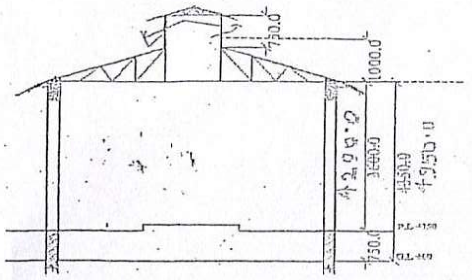

(राकेश कुमार)
संयुक्त सचिव,
पंचायतीराज विभाग

PROPOSED DRAWING FOR RURAL AREAS INCRIMATION PLACE

DOOR / WINDOW SCHEDULE

S.NO.	TYPE	SIZE	SILL
1		1000/2100	±00
2	D1	1000X2100	±00
3	D2	900X2100	±00
4	D3	750X2100	±00
5	DW	2000X2100	750
6	W	1800X1500	750
7	W1	1500X1500	1050
8	W2	1200X1500	1050
9	W3	370X1500	750
10	V1	600X1050	1500

AREA STATEMENT

TOTAL PLOT AREA = 1750 SQ.M.
PRO.COV.AREA ON PLAN=227.410 SQ.M
PRO.INTRELOCKING AREA=693.120SQ.M
OPEN GREEN AREA = 829.470 SQ.M.
TOTAL BOUNDARY LENGHT = 185 MT.
BOUNDARY HEIGHT = 1.80 MT.

DRG.TITLE	SCALE-
SUBMISSION DRGWING	AS SHOWN
	NORTH:

K. KUMAR J.E.
A. K. VERMA J.E.
सहायक अभियन्ता
... अभियन्ता ...
अधिशासी अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
... लखनऊ

निदेशक पंचायती राज
उत्तर प्रदेश

ARCHITECT

संख्या-2 / 2105 /33-3-2014-100(21) / 2014

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी
प्रमुखसचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

(2) निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 02 सितम्बर 2014

विषय- प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अंत्येष्टि स्थलों का विकास किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह अवगत कराने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अंत्येष्टि स्थलों के विकास के संबंध में तथा ग्रामीण क्षेत्रों के अंत्येष्टि स्थलों के नागरिक अवस्थापना सुविधाये उपलब्ध कराने के उद्येशय से शासन द्वार अंत्येष्टि स्थलों का विकास का निर्णय लिया गया है जिसके संबंध में विस्तृत मार्गदर्शिका /कार्ययोजना निम्नानुसार है:-

1. उददेश्य

(1) शव की अंत्येष्टि हेतु उचित, स्वच्छ एवं सम्मानजनक प्लेटफार्म उपलब्ध कराया जाना।
(2) अंत्येष्टि स्थल में शव के साथ उपस्थित जनों को मूलभूत सुविधाएं यथा- पेयजल एवं शौच की सुविधा उपलब्ध कराया जाना।
(3) शवदाह हेतु लकडियों की उचित व सुलभ व्यवस्था हेतु लकडी का टाल स्थापित किया जाना।
(4) इस प्रकार की अवस्थापना सुविधाएं विकसित की जाय कि यह प्रत्येक मौसम में बिना किसी कठिनाई के प्रयोग किया जा सके।
(5) अंत्येष्टि स्थलों के विकास हेतु ग्राम पंचायतों को सक्षम किया जाना।

2. कार्यक्रम का क्रियान्वयन

कार्यक्रम का क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग के अधीन पंचायती राज निदेशालय व उसके नियंत्रणाधीन जिला पंचायत राज अधिकारी तथा ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जायेगा। अंत्येष्टि स्थलों पर अवस्थापना सुविधाओं का निर्माण कार्य ऐसी ग्राम पंचायत जिसके भौगोलिक क्षेत्र में संबंधित अंत्येष्टि स्थल स्थापित है, द्वारा किया जायेगा। इस हेतु शासन द्वारा निदेशक, पंचायती राज के निवर्तन पर धनराशि रखी जायेगी, जो इसे चयनित/संबंधित ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करायेंगे। धनराशि का उपयोग पंचायती राज विभाग द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के अधीन ग्राम पंचायतों द्वारा किया जायेगा।

3. संबंधित ग्राम पंचायतों को निर्माण कार्य के लिए तकनीकी सहायता जिला पंचायत के तकनीकी स्टाफ, विकास स्तर पर ग्रामीण अभियंत्रण सेवा तथा लघु सिंचाई एवं पंचायती राज विभाग के अधीन जिला स्तर पर तैनात सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी (प्राविधिक) द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

4. प्रत्येक चयनित अंत्येष्टि स्थल में निम्नलिखित अवस्थापना सुविधायें निर्मित /व्यवस्थित की जायेगी:-

- अंत्येष्टि स्थल शेड (12मीटर X 05 मीटर) (दो शवदाह हेतु) -1
- लोगों के बैठने के लिए शान्ती स्थल (08 मीटर X 06 मीटर) -1
- लकडी भण्डार गृह (04 मीटर X 04 मीटर) -1
- शौचालय एवं स्थान घर (4.5 मीटर X 1.5 मीटर) -1
- शवदाह स्थल पर इण्टर लाकिंग टाईल्स का निर्माण कार्य।
- स्थान हेतु चबूतरा निर्माण (03 मीटर X 1.2 मीटर) -1
- हैण्डपम्प की व्यवस्था एवं जल निकासी इत्यादि।

5- चूँकि उक्त अवस्थापना सुविधायें ग्राम पंचायत की सम्पत्ति होगी एवं ग्राम पंचायत द्वारा ही उनका निर्माण/ विकास किया जायेगा, अत: निर्माण होने के पश्चात आगामी वर्षो में अनुरक्षण पर व्यय ग्राम पंचायत द्वारा 13वॉं वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर प्राप्त धनराशि /स्वयं के स्रोतों से आय से किया जायेगा। अंत्येष्टि स्थल प्रयोग करने वाली अन्य ग्राम पंचायतों द्वाराभी संबंधित ग्राम पंचायत के माध्यम से उपर्युक्त योजनाओं से अनुरक्षण पर धनराशि व्यय की जा सकेगी।

6. जनपदों में अंत्येष्टि स्थल का चयन निम्नलिखित मानकों के आधार पर किया जायेगा:-

6.1 प्रत्येक जनपद में ऐसे अंत्येष्टि स्थलों का वरीयता क्रम में चयन किया जाय जहां अधिकतम शवों का दाह किया जाता है।

http://shasanadesh.up.nic

6.2 प्रत्येक विकास खण्ड में अधिकतम प्रयोग की वरीयता क्रम में अंत्येष्टि स्थलों का चिन्हांकन ग्राम पंचायत सचिव की सहायता से संबंधित सहायक विकास अधिकारी (पं0) द्वारा किया जायेगा। उक्त चिन्हांकन में अंत्येष्टि स्थल में प्रति वर्ष अंत्येष्टि किये गये शवों की संख्या, उपलब्ध भूमि के ग्राम सभा/सार्वजनिक स्वामित्व में होने, उपलब्ध भूमि का क्षेत्रफल, अंकित सुविधाओं के निर्माण हेतु पर्याप्त स्थान आदि का उल्लेख किया जायेगा।

6.3 अंत्येष्टि स्थल नदियों के किनारे अथवा अन्य सुरक्षित स्थलों पर बनाए जाने के संबंध में उपर्युक्तानुसार स्थलों का चयन किया जायेगा।

6.4 अंत्येष्टि स्थलों का अंतिम चयन जनपद स्तर पर गठित निम्नलिखित समिति द्वारा किया जायेगा:-

जिलाधिकारी	अध्यक्ष
मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
अपर मुख्य अधिकारी	सदस्य
जिला पंचायत राज अधिकारी	संयोजक/सदस्य

7. प्रदेश के सभी जनपदों में अंत्येष्टि स्थलों के विकास की आवश्यकता के दृष्टिगत सभी विकास खण्डों को बराबर संख्या में अंत्येष्टि स्थलों के विकास हेतु धनराशि प्रदान की जायेगी।

8. अंत्येष्टि स्थल का निर्माण कार्य दिशा-निर्देशानुसार संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा, जिसकी गुणवत्ता संबंधित जनपद में तैनात जिला पंचायत राज अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

9. मृतक का मृत्यु प्रमाण-पत्र संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा दिया जायेगा तथा ग्राम पंचायत के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण नियमावली 2002 के प्राविधानों के अनुसार संक्षिप्त विवरण अंत्येष्टि स्थल से संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा रखा जायेगा।

10. अंत्येष्टि स्थलों के विकास हेतु शासन द्वार निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0 के निवर्तन पर धनराशि रखी जायेगी, जो इसे चयनित /संबंधित ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करायेंगे। धनराशि का उपयोग पंचायती राज विभाग द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के अधीन ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा।

11. संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा निदशक, पंचायती राज, उ0प्र0 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार कार्यपूर्ति एवं धनराशि का उपयोग प्रमाण-पत्र जिला पंचायत राज अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा।

जिला पंचायत राज अधिकारी संपूर्ण जनपद के पंचायतों को दी गयी धनराशि का स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 को उपलब्ध कराया जायेगा।

12. उक्त् निर्माण का अनुश्रवण निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार किया जायेगा।

13. जिला पंचायत से प्रत्येक अंत्येष्टि स्थल के निर्माण का प्राक्कलन तैयार कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, तत्पश्चात अंत्येष्टि स्थलों के निर्माण हेतु लागत के आकलन के अनुसार संबंधित जनपदों हेतु अंत्येष्टि स्थलों के लिए धनराशि शासन द्वारा निदेशक, पंचायती राज,उ0प्र0 के निवर्तन पर रखने हेतु निर्गत की जायेगी।

अत: अनुरोध है कि उपर्युक्त निर्देशानुसार अंत्येष्टि स्थलों के विकास योजना का क्रियान्वयन करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3- समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0।
4- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त मण्डलीय उप निदेशक(पं0) उत्तर प्रदेश।
6- समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत उत्तर प्रदेश।
7- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(प्रेम नारायण)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.